

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 20 मार्च, 2008 को पूर्वाह्न 09.30 बजे को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की तेईसवीं (23वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 20 मार्च, 2008 को पूर्वाह्न 09.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 449 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 206 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। सभी विकास आयुक्तों से अपने अपने क्षेत्राधिकार के लिए निवेश / रोजगार के नवीनतम आंकड़े भेजने का अनुरोध किया गया।

3. विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने 25 फरवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - चेन्नई, पुणे, मंगलौर, मैसूर और त्रिवेंद्रम के संबंध में आवासीय प्रशिक्षण सुविधा (कर्मचारी देखरेख केन्द्र) का निर्माण करने के लिए चरणबद्ध अनुज्ञप्ति के स्थान पर एकबारगी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए बैठक में लिए गए निर्णय को 25 फरवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक के कार्यवृत्त में छोड़ दिया गया है। मैसर्स इनफोसिस का अनुरोध इस प्रकार था :

क्रम संख्या	लोकेशन	एसईजेड के पूर्ण हो जाने पर कर्मचारियों की अनुमानित संख्या	एसईजेड के पूर्ण हो जाने पर प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अब तक निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	आवासीय प्रशिक्षण सुविधा की कुल आवश्यकता (वर्गफीट में)
1.	चेन्नई (एमसिटी)	25000	31.25 लाख	14.90 लाख	8.00 लाख
2.	पुणे	25000	31.25 लाख	14.51 लाख रुपए	8.00 लाख रुपए
3.	मंगलौर	25000	31.25 लाख	4.05 लाख रुपए	6.00 लाख रुपए
4.	मैसूर	15000	18.75 लाख	-	4.60 लाख
5.	त्रिवेंद्रम	10000	12.50 लाख	-	2.75 लाख

तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने त्रुटि को ठीक करने के लिए 25 फरवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन करने का निर्णय लिया। संबंधित विकास आयुक्त निगरानी करेंगे कि एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण उपर्युक्त अनुमान के अनुसार हो।

4. इस बात पर सहमति हुई कि सैद्धांतिक / औपचारिक अनुमोदन तथा अधिसूचना के समय विकासकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के लिए जांच सूची तैयार की जाएगी। सभी संबंधितों की सुविधा के लिए यह जांच सूची विभाग की वेबसाइट पर डाली जाएगी।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. गंजीमट्ट, ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि प्रस्तावित एसईजेड की भूमि संस्पर्शी है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गंजीमट्ट, ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में 10.117 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. प्रेगनापुर गाँव, गजवेल मंडल, मेडक जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि संबंधित विकास आयुक्त से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो पुष्टि करती है कि भूमि संस्पर्शी है और एसईजेड से गुजरने वाली सड़क केवल आंतरिक सड़क है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि प्रस्तावित एसईजेड की भूमि संस्पर्शी है और कोई आम रास्ता नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रेगनापुर गाँव, गजवेल मंडल, मेडक जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. राजस्व ग्राम बाबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 24.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वेलगो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि प्रस्तावित एसईजेड की भूमि संस्पर्शी है और उस पर विकासक का स्वामित्व है। उन्होंने यह भी सूचित किया था कि राजस्व के अभिलेखों में भूमि का विभाजन किया जाना है जो एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व कर लिया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने राजस्व गांव बाबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 24.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वेलगो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक्स / आईटी एवं आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जब स्पष्ट स्वामित्व एवं कब्जा के साथ राजस्व के रिकार्डों में भूमि का विभाजन हो जाएगा।

4. गुड़गांव, हरियाणा में 10.121 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सनवाइज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि प्रस्तावित एसईजेड की भूमि संस्पर्शी है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में 10.121 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सनवाइज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. कुसुमागिरि, कक्कानाड, एर्नाकुलम जिला, केरल में 94.9194 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 1) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कानूनी कब्जा है। तथापि, बताया गया कि भूमि दो भागों में बंटी है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार ब्लाक 9, काकानाड गांव में 53.838 हेक्टेयर के संस्पर्शी क्षेत्र के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। शेष भूमि के लिए, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कुसुमागिरि, कक्कानाड, एर्नाकुलम जिला, केरल में 53.838 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए

प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. एमआईडीसी, फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 103.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एमआईडीसी, फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 103.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. ग्राम कुरकालपट्टनम, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लिमिटेड प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एक दुर्बई आधारित कंपनी ने शिकायत की है कि विकासक ने उनके नाम का दुरुपयोग किया है और उनके लोगो का भी प्रयोग कर रहा है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि आवेदक से स्पष्टीकरण मांगा जाए। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम हीरे अमनीकेरे और अक्कूपेट, कसाबा होबली, देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में 10.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गोकलदास इमेजेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की सिफारिश की तथा यह भी सूचित किया कि राज्य की उच्च स्तरीय समिति द्वारा भी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह राय व्यक्त की कि पट्टा / बिक्री विलेख के माध्यम से पहले कानूनी कब्जा स्थापित होना चाहिए। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, पुणे, महाराष्ट्र में 11.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : हल्दिया, पश्चिम बंगाल में फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन एसईजेड स्थापित करने के लिए हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 45.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका था। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि विकासक ने 35.22 हेक्टेयर की भूमि पर भी कब्जा प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हल्दिया, पश्चिम बंगाल में कुल 80.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन
----------	---------------------------------------

1	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
2	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, क्लीनिक, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
4	कार्यालय निर्मित क्षेत्र
5	ट्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
6	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
7	स्वीमिंग पूल
8	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
9	बस बे
10	मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) - 70,000 वर्गमीटर
11	पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत - 108 मेगावाट (केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए)

(ii) जिला खुर्द, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन
1	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
2	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
3	मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) - 40000 वर्गमीटर

4	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, क्लीनिक, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
5	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
6	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
7	स्वीमिंग पूल
8	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
9	बस बे
10	पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत उत्पादन - 24 मेगावाट (केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए)

(iii) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मात्रा के उल्लेख के बगैर अनुरोध प्रस्तुत किया है। तदनुसार बोर्ड ने अनुरोध पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) कोयंबटूर, तमिलनाडु में हाइटेक इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार मंजूरी प्रदान की :

02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में संस्वीकृत की गई गतिविधियों में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए :

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित मात्रा	पिछला अनुमोदन सहित कुल अनुमोदित मात्रा
1	सुरक्षा ब्लॉक और कस्टम कार्यालय	415 वर्गमीटर	545 वर्गमीटर

20 मार्च, 2008 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

2	फायर स्टेशन और स्वास्थ्य केंद्र	334 वर्गमीटर	505 वर्गमीटर
---	---------------------------------	--------------	--------------

निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियां भी अनुमोदित की गई :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / मात्रा
1	रसोई / कैंटीन का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	1820 वर्गमीटर
2	मनोरंजन क्षेत्र का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	7500 वर्गमीटर
3	वाच टॉवर का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	4

(v) बड़ोदरा, गुजरात में हाइटेक इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार मंजूरी प्रदान की :

02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में संस्वीकृत की गई गतिविधियों में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए :

क्र. सं.	गतिविधि / मद	02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित मात्रा	पिछला अनुमोदन सहित कुल अनुमोदित मात्रा
1	फायर स्टेशन और स्वास्थ्य केंद्र	189 वर्गमीटर	255 वर्गमीटर



20 मार्च, 2008 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियां भी अनुमोदित की गई :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / मात्रा
1	रसोई / कैंटीन का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	1720 वर्गमीटर
2	मनोरंजन क्षेत्र का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	7500 वर्गमीटर
3	वाच टॉवर का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	6

(vi) उडुपी, कर्नाटक में हाइटेक इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में संस्वीकृत की गई गतिविधियों में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए :

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित मात्रा	पिछला अनुमोदन सहित कुल अनुमोदित मात्रा
1	सुरक्षा ब्लॉक और कस्टम कार्यालय	376 वर्गमीटर	730 वर्गमीटर

निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियां भी अनुमोदित की गई :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / मात्रा
1	रसोई / कैंटीन का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	1720 वर्गमीटर
2	मनोरंजन क्षेत्र का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	7500 वर्गमीटर
3	वाच टॉवर का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण	12

(vii) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

1. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) - 2355 वर्गमीटर
2. निस्सारी शोधन संयंत्र
3. रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, मनोरंजन की सुविधाएं, जिम, चिकित्सा केन्द्र आदि।

जहां तक पेड ड्राइव वे तथा ओपन स्पेस और उच्च स्तर की सुविधाओं आदि के निर्माण के लिए अनुरोध का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इन मदों को यूनिट अनुमोदन समिति के स्तर पर निपटाया जा सकता है।

(viii) भिवाड़ी, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक एवं साफ्टवेयर एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सोमानी वर्सटेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकतम 5000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के लिए रिटेल सह वाणिज्यिक / रिटेल / मनोरंजन स्पेस के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिसमें 21 जनवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1000 वर्गमीटर के लिए प्रदान किया गया पिछला अनुमोदन बिल शामिल है।

(ix) भुवनेश्वर, खुर्द, उड़ीसा में इडको द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (भुवनेश्वर) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

अपेक्षित सामाजिक अवसंरचना	अनुमोदित मात्रा
प्रशिक्षण सह आवासीय अपार्टमेंट	1,500 वर्गमीटर
बैकअप डीजल जनरेटर	कैप्टिव प्रयोग के लिए कुल पावर बैकअप - 5,500 केवीए (1500 केवीए के 3 और 1000 केवीए के 2 डीजल जनरेटर)

(x) पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स असंडास आईटी पार्क (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

#### प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	गतिविधियां
1.	सुरक्षा कार्यालय
2.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
3.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
4.	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए विद्युत (22 एमवीए तक पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
5.	बस बे
6.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
7.	जिम / फिटनेस सेंटर - 12,500 वर्गफीट
8.	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं :
	(क) बैंक 10,000 वर्गफीट
	(ख) चिकित्सा केन्द्र / क्लीनिक / फार्मसी 1500 वर्गफीट

20 मार्च, 2008 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

9. कन्वेंशन / बिजनेस सेंटर, कन्फ्रेंस, मीटिंग रूम 200000 वर्गफीट
10. खाद्य सेवाएं :
  - (क) फूड कोर्ट / कैफेटीरिया / कैंटीन 95000 वर्गफीट
  - (ख) कॉफी शॉप 15000 वर्गफीट
11. संड्री स्टोर / स्माल शॉपिंग आर्केड 56000 वर्गफीट
12. फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट 10000 वर्गफीट
13. ट्रेवल डेस्क 1000 वर्गफीट
14. फारेन एक्सचेंज डीलर 1000 वर्गफीट
15. हाई टेंशन और लो टेंशन रूम, ट्रांसफार्मर, एयर कंडिशनिंग और मकेनिकल वेंटीलेशन 102000 वर्गफीट

#### मद संख्या 5 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स सिटी गोल्ड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेस्टोन प्रीमाइसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि सह विकासक करार के अनुसार संपूर्ण जिम्मेदारी विकासक से सह विकासक को शिफ्ट की जा रही है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि निजी सुनवाई के लिए विकासक और सह विकासक दोनों को बुलाया जाए। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अदिति टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि सह विकासक पट्टा पर ऐसा क्षेत्र ले रहा है काफी विकसित हो चुका है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि निजी सुनवाई के लिए विकासक और सह विकासक दोनों को बुलाया जाए। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(iii) आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में मैसर्स लहरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवा क्षेत्र एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एरिस्टोन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि के पट्टा की अवधि / शर्तों को अंतिम रूप देने पर निर्णय न होने के कारण प्रस्ताव पहले आस्थगित कर दिया गया था। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि पट्टा की शर्तों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक की चर्चा का रिकार्ड पहले परिचालित किया जाए।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि पट्टा की अवधि 999 वर्ष से बदलकर 30 वर्ष की शाश्वत पट्टा अवधि करने के लिए विकासक और सह विकासक के बीच करार संशोधित किया गया है। 30 साल के पट्टा करार में शब्द 'शाश्वत' स्पष्ट नहीं है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि निजी सुनवाई के लिए विकासक और सह विकासक दोनों को बुलाया जाए।

(iv) कुसुमागिरि, कक्कानाड गांव, एर्नाकुलम, केरल में इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि के पट्टा की अवधि / शर्तों को अंतिम रूप देने पर निर्णय न होने के कारण प्रस्ताव पहले आस्थगित कर दिया गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि निजी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया जाए।

(v) वल्लारपदम, कोचीन, केरल में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) का अनुरोध

विकासक और सह विकासक ने प्रस्ताव पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। अध्यक्ष ने एक पिछले निर्णय का हवाला दिया जहां निर्णय लिया गया था कि परियोजना स्थल को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल का निर्णय सहित संगत मंत्रिमंडल नोट राजस्व विभाग को वर्तमान प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणी के लिए भेजा जाएगा और राजस्व विभाग से

सहमति प्राप्त होने के बाद सह विकासक के रूप में मैसर्स आईजीटीपीएल को अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

**(vi) मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सन्नी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि एसईजेड के लिए अधिसूचित क्षेत्र में शामिल 1.13 एकड़ भूमि ऐसी है जो सहयोग करार के अधीन मैसर्स सन्नी व्यू के पास पहले से ही है। राजस्व विभाग यह स्पष्टीकरण चाहता था कि क्या अधिसूचना के समय इस भूखंड पर विकासक का कानूनी कब्जा था। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष ने संबंधित विकासक आयुक्त को सही स्थिति की जानकारी प्रदान करने का निदेश दिया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि निजी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया जाए।

**मद संख्या 6 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(i) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हाई स्किल इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद विस्तार के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को मंजूरी न प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ii) गगरेट, ऊना, हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद विस्तार के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को मंजूरी न प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 7 : मंजूरी पत्र के निरसन के आदेश के विरुद्ध मैसर्स क्रिस्टल पॉलीमर इंपेक्स जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट है, की अपील**

यूनिट धारक ने प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कंपनी तीन साल से अधिक समय से प्रचालन नहीं कर रही है। यूनिट धारक कोई निर्यात प्रतिबद्धता भी प्रदान नहीं कर सका। विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। विस्तृत सकारण आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

**मद संख्या 8 : सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी है के नाम में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि विकासक ने एसपीवी को अनुमोदन अंतरित करने का प्रस्ताव किया है जिसमें मूल कंपनी की शेयर होल्डिंग केवल 50 प्रतिशत है। इसके अलावा, विकासक ने एसपीवी के अन्य संघटकों का निवल मूल्य प्रदान नहीं किया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगली बैठक में विकासक को बुलाने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 9 : 5 साल के लिए प्लास्टिक यूनिट के मंजूरी पत्र के नवीकरण के लिए नोएडा एसईजेड का प्रस्ताव**

विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने सूचित किया कि यूनिट भौतिक रूप से निर्यात नहीं कर रही है तथा डीटीए बिक्री पर केन्द्रित है। विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी बताया कि वर्जिन स्क्रेप का प्रयोग न करके यूनिट डीजीएफटी के संगत अनुदेशों का पालन नहीं कर रही है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि निजी सुनवाई के लिए पक्ष को बुलाया जाए।

**मद संख्या 10 : 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट - जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में मैसर्स न्यू फाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड**

अनुमोदन बोर्ड ने सही लोकेशन के रूप में 'जुईनगर' को मंजूरी प्रदान की तथा 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में तदनुसार संशोधन करने के लिए सहमति हुई।

**अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में आस्थगित प्रस्तावों पर निर्णय**

**मद संख्या 1 : सह विकासक के लिए अनुरोध**

(i) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपाक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विगनेश हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी, मैसर्स अविनाश हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी और मैसर्स गंगा हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी के अनुरोध

नोट किया गया कि अनुरोध पर पहले विचार किया गया था और 25 फरवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया था। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को पुनः अस्वीकार कर दिया।

(ii) मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डब्ल्यूडीसी टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) एवं (iii) राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि सह विकासक करार की शर्तों पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक में निजी सुनवाई के लिए संबंधित विकासक एवं सह विकासकों को बुलाने तथा प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) बंटाला, गंगापुर, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्टेक इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि सह विकासक का निवल मूल्य ऋणात्मक है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगली बैठक में विकासक और सह विकासक दोनों को बुलाने तथा प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(v) चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा रेजिडेंशियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि सह विकासक द्वारा अब प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव में 55 एकड़ भूमि के संबंध में महिंद्रा इंटीग्रेटेड टाउनशिप लिमिटेड ने विकास के अपने अधिकार को छोड़ने का प्रस्ताव किया है और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड महिंद्रा रेजिडेंशियल डवलपमेंट लिमिटेड के साथ सह विकासक करार करेगा। विचार विमर्श तथा विकासक की बात सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकसित किए जा रहे क्षेत्र में



परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विकासक संशोधित विकासक और सह विकासक करार प्रस्तुत करेगा।

**मद संख्या 2 : झरसूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन और क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का प्रस्ताव**

पहले भुर्कामुंडा एवं भागीपल्ली, तहसील एवं जिला झरसूगुडा, उड़ीसा में 242.18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमिनियम के निर्माण एवं निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब पिछले प्रस्तावित क्षेत्र के स्थान पर विकासक ने 185.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भुर्कामुंडा, ब्रंडामल एवं कुरेबागा, तहसील एवं जिला झरसूगुडा, उड़ीसा में लोकेशन को परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की सिफारिश की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने लोकेशन में परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में कटौती के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 3 : कोकापेट, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने क्षेत्रफल में कटौती के लिए अनुरोध किया है क्योंकि प्रस्तावित यूनिटों में से एक यूनिट ने एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को मंजूरी न प्रदान करने का निर्णय लिया क्योंकि किसी यूनिट के एसईजेड में आने या इससे बाहर निकलने पर हर बार अधिसूचित एसईजेड की सीमाएं परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं।

**मद संख्या 4 : मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत की आपूर्ति के लिए एसईजेड में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा सुझाव दिया कि पहले चरण में विकासक 2640 मेगावाट की पहले अनुमोदित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकता है और अपेक्षित होने पर भविष्य में वापस आ सकता है।

**अन्य मदें**

20 मार्च, 2008 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

(i) विलानकुरिची, कोयंबटूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टिडेल पार्क कोयंबटूर लिमिटेड का अनुरोध

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

समयाभाव के कारण पूरक एजेंडा को अगली बैठक के लिए आस्थगित कर दिया गया।